**प्रेस नोट**

**दिनांक 18.02.2025**

**पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पी0जी0 कालेज में 89.6 FM रेडियों ज्ञानस्थली न्यू स्टूडियों का किया गया उद्घाटन**

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पी0जी0 कालेज में 89.6 FM रेडियों ज्ञानस्थली न्यू स्टूडियों का फीटा काटकर उद्घाटन किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। रेडियों ज्ञानस्थली के छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक महोदय के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा सस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रेडियो स्टेशन की स्थापना ATC Labs के C.E.O और रेडियो ज्ञानस्थली के डायरेक्टर डॉ. दीपेन सिन्हा की पहल से की गई है।

महोदय द्वारा सम्बोधित करते हुए बताया गया कि सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पी0जी0 कालेज में नये कोर्स डिजिटल मास कम्युनिकेशन एवं एक नये स्टूडियों का उद्घाटन किया गया है। रेडियो ज्ञानस्थली एक शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है जो विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान करता है। यह स्टेशन सरकारी योजनाओं की जानकारी, सामाजिक मुद्दो पर चर्चा, लोकल टैलेंट को प्रमोट करने और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए जाना जाता है और शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न मुद्दो पर जानकारी और जागरूकता प्रदान करते है। यह कार्यक्रम शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक मुद्दों और अन्य विषयों पर चर्चा और विश्लेषण प्रदान करेगी। इन्टरनेट व डिजिटल दुनिया में जनपद गोण्डा के छात्राओं को नये- नये कोर्स से परिचय होगा। युवाओं को मीडिया और संचार के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह कोर्स पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, रेडियो, वीडियो प्रोडक्शन और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में भविष्य बनाने के अवसर प्रदान करेगा। यह कोर्स छात्रों को आत्मविश्वास व शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने में मदद करेगा तथा छात्रों को अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और समाज में अपनी भूमिका को समझने में लाभ मिलेगी। इसके लिए स्कूल प्रबन्धन के सभी पदाधिकारियों व फैक्लटी मेंम्बर्स को बधाई एवं शुभकामनाए दी गयी।

**इस अवसर पर रेडियो ज्ञानस्थली के डायरेक्टर डॉ. दीपेन सिन्हा, डा0 तन्वी जायसवाल व कालेज के सभी पदाधिकारी एवं पैक्लटी मेम्बर्स मौजूद रहे।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**<u>प्रेस नोट</u>**
**<u>दिनांक 18-02-2025</u>**

## <u>'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 1,10,000/-(एक लाख दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड की सजा–</u>

### <u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 06.02.2020 को वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 साधु सिंह नि0 386 ओम पुरवा नियर शिवपार्क मंदिर पोस्ट हरिन्दर नगर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी मुकेश पुत्र बैजनाथ नि0 शुक्खापुरवा मौजा भैरमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा मेरे लड़के भीम सिंह की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गयी है। वादी की तहरीर पर थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0–33/2020 धारा 302,201 भादवि बनाम मुकेश पुत्र बैजनाथ के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें कटराबाजार पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 19.03.2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

### <u>दोषसिद्धि का विवरण–</u>
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को थाना कटराबाजार में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, थाना कटराबाजार के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन महोदय श्री राजेश कुमार द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र बैजनाथ को दोषसिद्ध करते हुए को सश्रम अजीवन कारावास व रू0 1,10,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

### <u>अभियुक्त का नाम पता–</u>
01. मुकेश पुत्र बैजनाथ नि0 शुक्खापुरवा मौजा भैरमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### <u>अभियोग का विवरण–</u>
01. मु0अ0सं0–33/2020 धारा 302,201 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>**